[TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI GAZETTE EXTRA-ORDINARY]

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI DIRECTORATE OF EDUCATION: RIGHT TO EDUCATION BRANCH OLD SECRETARIAT, DELHI-110054

Dated: the 08.05.2017

NOTIFICATION

F.No.23 (13) DE/RTE/2012/1291-1305. — In exercise of the powers conferred under clause (n) of sub-section (2) of section 38 and sub-section (3) of section 24 read with sub-clause (B) of clause (ii) of sub-section (a) of section 2 of The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009), read with rule 20 of the Delhi Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011, the Government of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following amendments in the notification F.No.23 (13) DE/RTE/2012/423-437 dated the 29th January, 2016 published in the Delhi Gazette (Extraordinary) dated the 1st February, 2016, namely:-

In the said notification, in para 4 for the words, "This issue with the prior approval of Hon'ble Minister of Education, Government of National Capital of Delhi", the words, "By order and in the name of Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi" shall be substituted.

By order and in the name of Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(VINITA SHANKER)
Additional Secretary (Education)

No.F.23 (13)DE/RTE/2012/1291-1305

Dated:- 08.05.2017

Copy to:-

- 1. Secretary, Ministry of HRD, Govt. of India.
- 2. Pr. Secretary to Lieutenant Governor, GNCT of Delhi.
- 3. OSD to Chief Minister, GNCT of Delhi.
- 4. OSD to Minister of Education, GNCT of Delhi.
- 5. OSD to Chief Secretary, GNCT of Delhi.
- 6. Secretary (Education), GNCT of Delhi.
- 7. Director of Education, GNCT of Delhi.
- 8. Director(s) (Education), Municipal Corporation of Delhi (East/North/South).
- 9. Director (Education), New Delhi Municipal Council.
- 10. Chief Executive Officer, Delhi Cantonment Board.
- 11. Director, Directorate of Information and Publicity, GNCT of Delhi.
- 12. All Addl. Directors/RDEs/JDEs/DDEs/ADEs, Directorate of Education, GNCT of Delhi.
- 13. All Branch In charges, Directorate of Education, GNCT of Delhi.
- 14. OS (IT) with the request to place it in the website of Directorate of Education.
- 15. Guard File.

(VINITA SHANKER)

Additional Secretary (Education)

(दिल्ली राजपत्र भाग- IV असाधारण में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार शिक्षा निदेशालय : शिक्षा का अधिकार शाखा पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054.

दिनांकः 08.05.2017

अधिसूचना

संoफाo 23(13)डीई/आरटीई/2012/1291-1305.—िनःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 20 के साथ पिठत, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 2 की उपधारा (क) के खंड (ii) के उपखंड (ख) के साथ पिठत धारा 24 की उपधारा (3) तथा धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (ढ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद्वारा दिनांक 01 फरवरी, 2016 को दिल्ली राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित 29 जनवरी, 2016 की अधिसूचना संo फाo 23(13)/डीई/ आरटीई/2012/423—437 में निम्निखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, पैरा 4 में "यह माननीय शिक्षा मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पूर्व अनुमोदन से जारी किया जाता है" शब्दों के स्थान पर "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

> राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

> > (विनीता शंकर) अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)

सं0फा0 23(13)डीई/आरटीई/2012/1291-1305

दिनांक:08.05.2017

प्रतिलिपि निम्न को :-

- 1. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
- 2. प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- 3. विशेष कार्याधिकारी, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- 4. विशेष कार्याधिकारी, शिक्षा मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- 6. सचिव (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- निदेशक (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- निदेशक (शिक्षा), दिल्ली नगर निगम (पूर्व / उत्तर / दक्षिण)।
- 9. निदेशक (शिक्षा), नई दिल्ली नगर पालिका परिषद।
- 10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली छावनी बोर्ड।
- 11. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- 12. समस्त अतिरिक्त निदेशक/क्षेत्रीय निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप–निदेशक शिक्षा/सहायक निदेशक शिक्षा, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- 13. समस्त शाखा प्रभारी, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- 14. कार्यालय अधीक्षक (आईटी) को शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर डालने के अनुरोध सहित।

15. गार्ड फाईल।

्(विनीता शंकर) अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)